संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

–::विज्ञप्ति::–

नीट–2018 द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम–2018 के अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश अंतर्गत प्रथम चरण की आनलाईन काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त रिक्त सीटों की पूर्ति के लिये द्वितीय चरण का ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

1/ **द्वितीय चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम–**

1	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों तथा पाठ्यक्रमों बीएएमएस/ बीएचएसमएस/ बीयूएमएस/ बीएनवायएस की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग)	दिनांक 05/10/18 से 07/10/18 रात्रि 11:59 बजे तक
2	सीट आवंटन	11/10/2018
3	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश की तिथि	दिनांक 12/10/18 से 15/10/18 रात्रि 11:59 बजे तक

नोट:–

1– अभ्यर्थी प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाईन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते है।

2– उपरोक्त ऑनलाइन काउंसिलिंग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुष महाविद्यालयो को सम्मिलित किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार में मान्यता हेतु लंबित आयुष महाविद्यालयों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर उक्त प्रवेश नियम के नियम–12 अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।

3– अभ्यर्थियों को उक्त प्रवेश नियम के नियम–9.1 अनुसार सीट आवंटन का अवसर दिया जावेगा।

4– च्वाईस लॉक करने के पूर्व नियम, आवश्यक प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम–2018 देखे जो **www.ayush.mp.gov.in & www.ayush.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है।

5– प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश नियम–2018 में संलग्न फीस चार्ट के पूर्ण रूप से अध्ययन पश्चात् ही शासकीय (स्वशासी)/निजी महाविद्यालयों की च्वाईस लॉक करे। च्वाईस लॉक करने के उपरान्त यह माना जावेगा कि आपको संबंधित महाविद्यालय की प्रदर्शित फीस संरचना स्वीकार्य है।

6– अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटित होने के उपरान्त प्रधानाचार्य से महाविद्यालय की निर्धारित फीस राशि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर निर्धारित फीस का ड्राफ्ट बनवाकर ही प्रवेश प्राप्त करे। बाद में फीस संबंधी कोई आपत्ति मान्य नही होगी। प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त, संचालनालय आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य रहेगा।

7– विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शेड्यूल की जानकारी संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल की बेबसाइट **www.ayush.mp.gov.in & www.ayush.mponline.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ0 सतीश चन्द्र शर्मा)
प्र0संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0